



राजस्थान रोजगार संदेश पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 48 अंक 9

(Website: <http://employment.rajasthan.gov.in>)

15 जून, 2025

मूल्य: 3.00

वार्षिक शुल्क 60रु

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/वाहन चालक/2025/2358

दिनांक : 09/06/2025

1.	परीक्षा का नाम	राजस्थान उच्च न्यायालय में वाहन चालक (Chauffeur) तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थायी लोक अदालतों सहित) में वाहन चालक (Driver) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2025
2.	भर्ती प्रक्रिया के नियम	राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) [Rajasthan High Court Staff Service Rules, 2002] (As amended) एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित) [Rajasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) Service Rules, 2017] (As amended)
3.	पदनाम	राजस्थान उच्च न्यायालय में वाहन चालक (Chauffeur) एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान के जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थायी लोक अदालतों सहित) में वाहन चालक (Driver)
4.	परिवीक्षाधीन अवधि का वेतन	चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार दो वर्ष की अवधि तक रुपये 14,600/-(fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में रहेंगे।
5.	परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतन	पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या L-05 के अनुसार पे-स्केल रु. 20,800-65,900/-
6.	ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया	राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु आरक्षित पदों, जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) में विहित है तथा जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों हेतु आरक्षित पदों, जैसा कि राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित) में विहित है, की न्यूनतम अर्हता में भिन्नता होने के कारण, ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को संस्थान के चयन हेतु, उसकी अर्हता के अनुसार, निम्न में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा : - ☐ राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ☐ जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ☐ उपरोक्त दोनों अतः ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित), राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित), विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की

		अधिकृत वेबसाइट http://www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध हैं/यथा सम उपलब्ध करा दिए जाएंगे। - ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा-निर्देश यथोचित समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड क दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं वेबसाइट को नियमित समयान्तराल पर देखते रहें। - आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचना अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक क आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और/या किसी भ स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्व आवेदक की होगी।	
7.	आवेदन करने की समय सीमा	दिनांक 18.06.2025 (बुधवार) को दोपहर 01:00 से दिनांक 07.07.2025 (सोमवार) को सायं 05:00 बजे तक।	
	ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा	दिनांक 18.06.2025 (बुधवार) को दोपहर 01:00 से दिनांक 08.07.2025 (मंगलवार) को सायं 11:59 बजे तक।	
	ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करने व ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपर्युक्त समय सीमा के पश्चात् पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाइन आवेदन करें। ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट-बैंकिंग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकेगी।		
8.	लिखित परीक्षा का स्थान	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा जोधपुर एवं जयपुर जिला मुख्यालयों पर आयोजित किये जाने की संभावना है। आवेदक अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर अन्य संभागीय/जिला मुख्यालयों पर भी लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने तथा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है।	
9.	परीक्षा शुल्क (Examination Fee) :-		
	सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर श्रेणी)/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर श्रेणी)/अन्य राज्य के आवेदक	राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी)/अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के आवेदक/भूतपूर्व सैनिक
	रुपये 750/-	रुपये 600/-	रुपये 450/-
	नोट- परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। परन्तु यह कि, विज्ञापन निरस्त किए जाने का नोटिस जारी होने की तिथि से एक माह पश्चात् किए गए परीक्षा शुल्क की वापसी के दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।		
10.	रिक्त पदों का विस्तृत विवरण		
	राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान के जिला न्यायालयों एवं जिला		

	नोट:- राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वित्तीय वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम तीन वित्तीय वर्ष के लिये किया जा सकता है। अथवा वर्तमान भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में, चूंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 07.07.2025 है। अतः इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु दिनांक 01.04.2025 से 07.07.2025 की समयावधि में जारी Income & Asset Certificate प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2025 की समयावधि में एक बार Income & Asset Certificate जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वित्तीय वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ-पत्र पेश करने पर दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2025 की समयावधि में जारी उक्त प्रमाण पत्र को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा। iii. भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा, यथासमय, मांगे जाने पर अपने नियुक्ता द्वारा जारी पीपीओ नम्बर/एन.ओ.सी. आदि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम अधिकारी से निराक्षेप प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पद ग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन किए जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण के प्रस्तुतिकरण के लिए 1 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जाएगी। iv. भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। परन्तु, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा, यदि किन्हीं कारणों से ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का एक शपथपत्र पेश करने पर कि "वह आवेदन की अंतिम तिथि को सम्बन्धित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी", ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा। v. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। vi. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। vii. विधवा महिला श्रेणी में आरक्षण का लाभ, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक ऐसे अभ्यर्थी के पति की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र (Death Certificate) प्रस्तुत करने पर ही देय होगा। viii. विच्छिन्न विवाह महिला (Divorced Woman) श्रेणी में आरक्षण का लाभ, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक ऐसे अभ्यर्थी का उसके पति से विवाह-विच्छेद (Divorce) हो जाने का प्रमाण (Proof) प्रस्तुत करने पर ही देय होगा। ix. ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग का लाभ दिया जाएगा। यदि आवेदक का विवाह विच्छेद सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है तो विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। x. विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने एवं विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग में होने सम्बन्धी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।
14.	महत्वपूर्ण नोट (Important Notes) :- - राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) की रिक्तियों के विरुद्ध सफल अभ्यर्थियों की चयन हेतु संस्थावार (Institute-wise) अनुशंसा, यथासंभव उनके द्वारा चयनित प्राथमिकता के अनुसार किसी एक संस्था हेतु की जाएगी जो कि अभ्यर्थियों द्वारा जॉब टैस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त कुल समग्र अंकों (Total aggregate marks) के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अध्यक्षीन रहेंगी। - जिला न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु, अभ्यर्थियों को यथासमय, चाहे जाने पर उन्हें जिला न्याय क्षेत्रों (जिलों के नाम) में से किन्हीं पांच जिला न्यायक्षेत्रों का, प्राथमिकतानुसार चयन करना होगा। - प्राथमिकतानुसार पांच जिला न्यायक्षेत्रों में चयन नहीं होने की स्थिति में भर्ती प्राधिकाश्री ऐसे अभ्यर्थी का नाम किसी भी जिला न्यायक्षेत्र में नियुक्ति हेतु अनुशंसित कर सकेगा, जिसमें वह उचित समझे। - गैर-अनुसूचित क्षेत्रों (Non-TSP Areas) के आवेदक, जिलों का चयन करते समय अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Areas) के जिलों का चयन नहीं कर सकेंगे। - अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के उसी सम्बन्धित अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। - अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के आवेदक, ऑनलाईन आवेदन करते समय अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी होने के विकल्प का स्पष्ट रूप से चयन करें। - अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, नियुक्ति के लिये जिलों का चयन करते समय अपने अनुसूचित क्षेत्र (जहां के वे स्थानीय निवासी हैं) को अनिवार्य रूप से प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन करें, तत्पश्चात् किन्हीं अन्य चार गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP Area) के जिला न्यायक्षेत्रों का चयन कर सकते हैं। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों की गैर-अनुसूचित क्षेत्र में चयन/नियुक्ति उक्त क्षेत्र की मेरिट लिस्ट के अध्यक्षीन ही रहेंगी। - अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक द्वारा अपने अनुसूचित क्षेत्र का प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन नहीं करने की स्थिति में, उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा। - किसी एक अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, किसी अन्य अनुसूचित क्षेत्र का प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन नहीं कर सकेंगे।
15.	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Academic Qualification):- राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के रिक्त पदों हेतु:- - अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए, और; - अभ्यर्थी हल्के वाहन (Light Motor Vehicle) चालन की वैध अनुज्ञप्ति (Valid Driving License) धारक होना चाहिए, और; - अभ्यर्थी को हल्के वाहन (Light Motor Vehicle) चालन की वैध अनुज्ञप्ति (Valid Driving License) प्राप्त करने के पश्चात् ऑटोमेटिक, पावर स्टीयरिंग एवं पावर ब्रेक्स युक्त वाहनों को चलाने का 3 वर्ष का

	अनुभव (आवेदन करने की अंतिम दिनांक 07.07.2025 तक) होना चाहिए, और; iv. अभ्यर्थी की आँखों की दृष्टि चश्मे या बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए और; v. अभ्यर्थी को रोड साईड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान एवं वाहन चालन में दक्षता होनी आवश्यक है। जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थायी लोक अदालतों सहित) के रिक्त पदों हेतु:- i. अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए, और; ii. अभ्यर्थी हल्के वाहन (Light Motor Vehicle) और परिवहन-वाहन (Transport Vehicle) चालन की वैध ड्राइविंग अनुज्ञप्ति (Valid Driving License) धारक होना चाहिए, और; iii. अभ्यर्थी को हल्के वाहन (Light Motor Vehicle) और परिवहन-वाहन (Transport Vehicle) चालन की वैध ड्राइविंग अनुज्ञप्ति (Valid Driving License) प्राप्त करने के पश्चात् उक्त वाहनों को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव (आवेदन करने की अंतिम दिनांक 07.07.2025 तक) होना चाहिए, और; iv. अभ्यर्थी की आँखों की दृष्टि चश्मे या बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए और; v. अभ्यर्थी को रोड साईड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान एवं वाहन चालन में दक्षता होनी आवश्यक है। नोट:- सीनियर सैकण्डरी (उच्च माध्यमिक) परीक्षा में सम्मिलित हो रहा आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है परन्तु ऐसे आवेदक को वांछित शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा से पूर्व धारित करनी होगी और उसका प्रमाण लिखित परीक्षा होने के 07 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
16.	शारीरिक उपयुक्तता (Physical Fitness):- आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के सदस्य (वाहन चालक) के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17.	राष्ट्रीयता (Nationality):- सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह :- (क) भारत का नागरिक हो (A citizen of India), या (ख) नेपाल का नागरिक हो (A citizen of Nepal), या (ग) भूटान का प्रजाजन हो (A subject of Bhutan) : परन्तु- प्रवर्ग (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी, वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र दिया गया है।
18.	आयु (Age):- विज्ञापित पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात् आने वाली जनवरी के प्रथम दिन (1 जनवरी, 2026) को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए : परन्तु :- (i) उपर्युक्त उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा को,- (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा। (ख) सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा। (ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा। (ii) विधवा और विच्छिन्न विवाह-महिलाओं (तलाकशुदा) के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी। (iii) रिजर्विस्ट यथा रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा सेवा कर्मिकों हेतु ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। (iv) उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। ऐसे अभ्यर्थियों को सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से सेवा सम्पादित करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा; (v) ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा, यदि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था; (vi) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को कैडेट अनुदेशक के रूप में राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रदान की गयी कुल सेवा अवधि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा; (vii) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हों आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे; (viii) भूतपूर्व सैनिक के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 15 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा। परन्तु यह कि यदि 15 वर्ष की शिथिलता के पश्चात् अनुमेय आयु 50 वर्ष से अधिक हो, तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष समझी जावेगी। (ix) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिनमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है। अतः आवेदकों को, राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) के नियम 8(6) एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित) के नियम 13 (x) में वर्णित प्रावधान के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्ष की शिथिलता प्रदान की जाएगी। (x) उपर्युक्त आयु सीमा में शिथिलता केवल एक श्रेणी हेतु ही अनुज्ञेय होगी।
	चरित्र (Character) :- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित (Qualify) करे। अभ्यर्थी को:- (i) एक सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र (Good Character Certificate), जो उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अन्तिम बार अध्ययन किया है, के प्रधानाचार्य/अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा एवं (ii) दो सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न

	हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से सम्बन्धित ना हों एवं उसके सम्बन्धी ना हों।
20.	नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ (Disqualifications for Appointment):- (1) कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। (2) कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। (3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था। स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है। (क) परन्तु ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित) के प्रयोज्य होने की तिथियों को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा; (ख) परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, उक्त नियम 2002 एवं 2017 के प्रयोज्य होने की तिथि को बढ़ोतरी नहीं होती है; (ग) परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्‌वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा; (घ) परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और नियोग्यता से ग्रस्त हो; (ङ.) परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे किसी पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। नोट:- अभ्यर्थी की राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में चयन हेतु पात्रता के लिए दो से अधिक संतान होने के आधार पर नियोग्यता की तिथि दिनांक 22.06.2024 तथा जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में चयन हेतु उक्त तिथि दिनांक 01.06.2002 समझी जायेगी।
21.	परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम (Scheme & Syllabus of Examination):- अभ्यर्थियों की परीक्षा निम्नलिखित चरणों में आयोजित की जायेगी :- चरण-(1) : लिखित परीक्षा (Screening Test) यदि विज्ञापित रिक्तियों के सम्बन्ध में कुल रिक्तियों के 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु वस्तुपरक किस्म की लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। वस्तुपरक किस्म की लिखित परीक्षा सिर्फ छंटनी हेतु आयोजित की जाएगी एवं उक्त परीक्षा के प्राप्तकों को अंतिम वरीयता सूची (Final Merit List) बनाते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (i) लिखित परीक्षा कुल 100 अंक की होगी, जिसकी अवधि 2 घन्टे होगी, जिसमें निम्न विषय/प्रसंग के वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय (Multiple Choice Questions) प्रश्न होंगे :- (a) हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए यातायात निर्देश, यातायात से सम्बन्धित साईन बोर्ड्स, पथ-निर्देश आदि को पढ़ने व समझने के ज्ञान से सम्बन्धित, (b) वाहन एवं रोड साईड मरम्मत के तकनीकी ज्ञान से सम्बन्धित, (c) यातायात नियमों के ज्ञान से सम्बन्धित। (d) यातायात चिन्हों के ज्ञान से सम्बन्धित। (ii) उपर्युक्त विषयों में से प्रथम विषय से 20 अंक, द्वितीय विषय से 20 अंक, तृतीय विषय से 30 अंक एवं चतुर्थ विषय से 30 अंक, के प्रश्न हो सकते हैं। (iii) लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक) होंगे। (iv) गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। (v) लिखित परीक्षा ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जायेगी। (vi) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, कुल रिक्तियों (प्रवर्गवार) के 10 गुना सीमा तक के अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु योग्य घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अंतिम कट ऑफ (प्रवर्गवार) पर समान अंक प्राप्त करते हैं उन्हें भी जॉब टेस्ट व व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। (vii) जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 40 अंक और अन्य सभी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 45 अंक प्राप्त करने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के मामले में, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की अधिक शिथिलता प्रदान की जाएगी। चरण-(2) : जॉब टेस्ट (Job Test) (90 अंक) जॉब टेस्ट के अन्तर्गत ड्राइविंग टेस्ट (70 अंक) एवं रोड साईड मरम्मत परीक्षा (20 अंक) आयोजित की जाएगी। चरण-(3) : व्यक्तिगत साक्षात्कार (Personal Interview) (10 अंक) आवेदक की वाहन चालक के पद हेतु समग्र उपयुक्तता आंकलित करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। नोट:- i. चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट एवं साक्षात्कार में कुल 45 अंक और अन्य सभी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 50 अंक प्राप्त करने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के मामले में, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की अधिक शिथिलता दी जाएगी। ii. जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में समान कुल अंक प्राप्त करने की दशा में, जॉब टेस्ट में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने के साथ-साथ, जॉब टेस्ट में भी समान अंक प्राप्त करने की दशा में, आयु में बड़े अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। iii. चयन के लिए सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके द्वारा जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त कुल समग्र अंकों (Total Aggregate Marks) के आधार पर तैयार की जाएगी। विभिन्न संस्थानों के पदों हेतु चयन के सम्बन्ध में विशेष नोट:- राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु आरक्षित पदों, जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) में विहित है तथा जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों हेतु आरक्षित पदों, जैसा कि राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित) में विहित है, हेतु न्यूनतम अर्हता में भिन्नता होने के कारण, यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के प्रत्येक चरण हेतु, जैसा भी हो, सर्वप्रथम, उनकी पात्रता के अध्यक्षीन, ऐसे आवेदकों की उपयुक्तता पर विचार किया जाएगा जिन्होंने जिला न्यायालयों/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के पदों हेतु या सभी संस्थानों (अर्थात् राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों) के पदों हेतु आवेदन किया है तदुपरान्त शेष आवेदकों में से, उनकी पात्रता के अध्यक्षीन, ऐसे आवेदकों की उपयुक्तता पर विचार किया जाएगा जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय/राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदों हेतु या सभी

	संस्थानों (अर्थात् राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों) के पदों हेतु आवेदन किया है।
22.	आवेदन सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions to Apply): — 1. कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उसी श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी। 2. आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। अतः ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। 3. ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। 4. एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना—पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा। 5. अभ्यर्थी को आवेदन करते समय अपने हस्ताक्षर, नवीनतम रंगीन फोटो एवं वाहन चालन अनुज्ञप्ति को स्कैन (Scan) कर अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त आवेदक को ऐसा फोटोयुक्त पहचान—पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट में से कोई भी एक) भी अपलोड करना होगा जिस पर अंकित फोटोग्राफ, आवेदन—पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ तथा स्वयं आवेदक के सदृश हो तथा प्रत्येक परीक्षा एवं साक्षात्कार के समय भी वही मूल फोटोयुक्त पहचान—पत्र साथ लेकर आना आवश्यक होगा।
23.	प्रवेश—पत्र (Admission Card): — राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश—पत्र अधिकृत वेबसाईट पर Upload किए जाएंगे तथा डाक से कोई प्रवेश—पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के प्रवेश—पत्र Upload किए जाने की सूचना अधिकृत वेबसाईट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदक अपने (i) User Name एवं (ii) Password एवं (iii) Captcha Code के आधार पर अपना प्रवेश—पत्र वेबसाईट से Download कर सकेंगे।
24.	अनापत्ति प्रमाण—पत्र (No Objection Certificate): — राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
25.	अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश (Other Important Instructions): — 1. लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात् प्रश्न—पत्र की आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। इस प्रकार प्रकाशित की गयी आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आपत्तियां, प्रति प्रश्न 100/— रुपये शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर, राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्धारित समयावधि में विहित शैति से प्रस्तुत की जा सकेगी। एक बार भुगतान की गई शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी अन्य माध्यम अथवा निर्धारित शुल्क राशि का भुगतान किए बिना प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्तानुसार प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर सक्षम समिति द्वारा विचार कर, आवश्यकता होने पर, पुनरीक्षित उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा सकती है तथा इसके साथ ही लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है। 2. “राजस्थान सूचना का अधिकार (उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय) नियम, 2006”, के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना, भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी। अन्तिम परिणाम (Final Result) घोषित किए जाने की दिनांक से 6 माह की अवधि में प्रस्तुत किए गए आवेदन पर ही सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी। अन्तिम परिणाम घोषित किए जाने के 6 माह पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। 3. अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण—पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर (on being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। 4. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा। 5. प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर अपलोड करके संसूचित किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संसूचित नहीं किया जाएगा। 6. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा—कक्ष/परीक्षा—केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices), पर्स, धारदार/नुकीली वस्तु या कोई हथियार इत्यादि अपने साथ लेकर नहीं आये। ऐसी किसी वस्तु या अन्य किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के साथ परीक्षा कक्ष/परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय की नहीं होगी। 7. परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश—पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही परिसर/कक्ष में ले जा सकता है। 8. परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। 9. ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा करा दिया गया है, उनको ही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश—पत्र जारी कर दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन—पत्र में की गयी प्रविष्टियां सही और ठीक मान ली गई हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/महिला/विधवा/विध्विन्न विवाह महिला आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। 10. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गार्डिड—बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है, न ही भविष्य में किया जाएगा। 11. सेवा में नियुक्ति पर अभ्यर्थियों को नियमानुसार परीक्षा काल पर रखा जाएगा।

	12. पेन्शन नियमानुसार देय होगी।
26.	अनियमित या अनुचित साधनों द्वारा नियोजन (Employment by irregular or Improper Means): — कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्त्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन, काम में लाने या किसी भी तरह से अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो, स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जाएगा— (a) नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से, अथवा (b) सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से
27.	अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम (Prevention of use of Unfair Means): —परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, (संशोधन) अधिनियम, 2023 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही किया जाना भी सम्मिलित है।
28.	संयाचना (Canvassing): —नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा।
29.	हैल्प लाईन (Help Line): — ऑनलाईन आवेदन व परीक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु हैल्प लाईन (Help Line) नम्बरों 0291—2888100 एवं 2888101 पर कार्यालय समय के दौरान (During Office Hours) सम्पर्क करें।
30.	वेबसाईट (Website): — राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट : www.hcraj.nic.in नोट:— उक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित कर प्रेषित किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई—मेल से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र आदि को विचार में नहीं लिया जाएगा।

(शेष पृष्ठ-5 पर)



Agriculture University, Jodhpur

Jodhpur - 342304 (Rajasthan)
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
जोधपुर — 342304 (राजस्थान)
Website: www.aujodhpur.ac.in Phone: 0291-2570710



No. F.2()AU/Jodh/VC Search/2025/4737

Dated: 24.05.2025

Advertisement

Appointment for the post of Vice-Chancellor, Agriculture University, Jodhpur

The Search Committee invites applications/nominations from distinguished academicians in agriculture education having a **minimum of ten years’ experience** as Professor in a University or College or ten years’ experience in an equivalent position in a reputed research and/ or academic administrative organization and should be of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment as per provision of section 25(3) of the Agriculture University, Jodhpur Act 2013, as amended. The appointment will be for a period of 3 years or up to the age of 70 years, whichever is earlier.

Curriculum Vitae in the prescribed format duly signed by the candidate along with required information and supporting documents should be submitted both in soft and hard copy.

The application/nomination should be **addressed to the Chairman, V.C. Search Committee, C/o Registrar, Agriculture University, Jodhpur**. The soft copy of application/ nomination should be mailed at vcsearch2025@aujodhpur.ac.in by **23rd June, 2025 till 11:59 PM**. Hard copy of the application/nomination must reach the **“Registrar, Agriculture University, Jodhpur, Mandor, Jodhpur (Rajasthan) - 342304” on or before 30th June, 2025 by 5:00 PM**. “Application for the post of Vice-Chancellor, Agriculture University, Jodhpur and confidential” should be superscribed on the envelope and copied in the Subject of e-mail. The candidates are required to download the prescribed application/nomination form from the University website www.aujodhpur.ac.in. For further information, candidates may visit the University website.

REGISTRAR

Chauffeur in Rajasthan High Court

राजस्थान उच्च न्यायालय में वाहन चालक के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला-न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

S.NO.	NAME OF Institution	TOTAL VACANCIES	UNRESERVED				EWS				Total Gen	Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC							
			UR	F	W	D	Ex-Ser	EW	S	F			W	D	Ex-Ser	SC		F	W	D	Ex-Ser		ST	F	W	D		Ex-Ser	OBC	F	W		D	Ex-Ser	MBC	F	W	D	Ex-Ser
1	Rajasthan High Court	25	6	3	0	0	1	2	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	4	3	0	0	0	3	4	1	0	0	0	5	1	0	0	0	1				
	Total	25	6	3	0	0	1	2	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	4	3	0	0	0	3	4	1	0	0	0	5	1	0	0	0	1				

Chauffeur in Rajasthan State Legal Service Authority, Jaipur

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में वाहन चालक के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला-न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

S.NO.	NAME OF Institution	TOTAL VACAN CIES	UNRESERVED				EWS				SC				ST				OBC				MBC				Total MBC		
			UR	F	W	D	Ex-Ser	EW	S	F	W	D	Ex-Ser	SC	F	W	D	Ex-Ser	ST	F	W	D	Ex-Ser	OBC	F	W		D	Ex-Ser
1	RSLSA	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
	Total	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

F - Female (महिला)

D - Divorcee Woman (विच्छिन्न विवाह महिला)

W - Widow (विधवा)

UR - Un-Reserved (अनारक्षित)

SC - Schedule Caste (अनुसूचित जाति)

ST - Schedule Tribes (अनुसूचित जनजाति)

OBC - Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग)

MBC - More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)

EWS - Economic Weaker Section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

OSP - Outstanding Sports Person (उत्कृष्ट खिलाड़ी)

ES - Ex-Servicemen (मृतपूर्व सैनिक)

(संलग्नक – 3)

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Areas) (DRIVER in District Court)

गैर अनुसूचित क्षेत्र – जिला न्यायालयों में वाहन चालक के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

S.No.	NAME OF JUDGE/SHIP	TOTAL VACAN CIES	UNRESERVED					EWS					Total Gen	SC					Total SC	ST					Total ST	OBC					Total OBC	MBC					Total MBC
			UR	F	W	D	Ex- Ser	EWS	F	W	D	Ex- Ser		SC	F	W	D	Ex- Ser		ST	F	W	D	Ex- Ser		OBC	F	W	D	Ex- Ser		MBC	F	W	D	Ex- Ser	
1	AJMER	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	BIKANER	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	BUNDI	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	CHURU	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	HANUMANGARH	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	JAIPUR METRO-I	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	JAIPUR DISTRICT	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	JALSALMER	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	JALORE	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	JHALAWAR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	JODHPUR METRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	KOTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	PALI	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	SAWAI MADHOPUR	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	SRI GANGANAGAR	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
16	TONK	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	UDAIPUR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	TOTAL	25	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

(संलग्नक – 4)

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas)

अनुसूचित क्षेत्र – जिला न्यायालयों में वाहन चालक के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL	UNRESERVED			EWS			Total		SC			Total		ST			Total		OBC			Total		MBC			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			UR	F W D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

- D - Divorcee Woman (विधिवन् विवाह महिला)
- W - Widow (विधवा)
- UR - Un-Reserved (अनासूचित)
- SC - Schedule Caste (अनुसूचित जाति)
- ST - Schedule Tribes (अनुसूचित जनजाति)
- OBC - Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग)
- MBC - More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)
- EWS - Economic Weaker Section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)
- OSP - Outstanding Sports Person (उत्कृष्ट खिलाड़ी)
- ES - Ex-Servicemen (सुतपुर्व सैनिक)

(संलग्नक – 5)

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Areas) (DRIVER in DLSA)

गैर अनुसूचित क्षेत्र – जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में वाहन चालक के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL (DLSA+ PLA)	UNRESERVED					Total Gen	EWS					Total EWS	SC					Total SC	ST					Total ST	OBC					Total OBC	MBC					Total MBC
			UR	F	W	D	Ex-Ser		EWS	F	W	D	Ex-Ser		SC	F	W	D	Ex-Ser		ST	F	W	D	Ex-Ser		OBC	F	W	D	Ex-Ser		MBC	F	W	D	Ex-Ser	
1	BALOTRA	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	JAISALMER	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTAL	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(संलग्नक – 6)

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas)

अनुसूचित क्षेत्र – जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में वाहन चालक के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACAN CIES	UNRESERVED					Total Gen	EWS					Total EWS	SC					Total SC	ST					Total ST	OBC					Total OBC	MBC					Total MBC
			UR	F	W	D	Ex-Ser		EWS	F	W	D	Ex-Ser		SC	F	W	D	Ex-Ser		ST	F	W	D	Ex-Ser		OBC	F	W	D	Ex-Ser		MBC	F	W	D	Ex-Ser	
1	PRATAPGARH	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	BANSWARA	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	DUNGARPUR	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Total	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

F - Female (महिला)
D - Divorcee Woman (विधिवन् विवाह महिला)
W - Widow (विधवा)
UR - Un-Reserved (अनारक्षित)
SC - Schedule Caste (अनुसूचित जाति)
ST - Schedule Tribes (अनुसूचित जनजाति)
OBC - Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग)
MBC - More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)
EWS - Economic Weaker Section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)
OSP - Outstanding Sports Person (उत्कृष्ट खिलाड़ी)
ES - Ex-Servicemen (मृतपूर सैनिक)

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

संक्षिप्त विज्ञापन

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/च.श्रे.क./2025/2350

दिनांक: 09.06.2025

राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान के जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, 2025

राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान के जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के 5670 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Applications) आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार दो वर्ष की अवधि तक रुपये 12,400/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में रहेंगे। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या L-01 के अनुसार पे-स्केल रु. 17,700-56,200 (as amended by the State Government from time to time as well as in the Rules of 2002) संदेय होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2025 (शुक्रवार) को दोपहर 01:00 से दिनांक 26.07.2025 (शनिवार) को सायं 05.00 बजे तक भरे जा सकेंगे। ऑनलाईन परीक्षा शुल्क दिनांक 27.06.2025 (शुक्रवार) को दोपहर 01:00 से दिनांक 27.07.2025 (रविवार) को सायं 11.59 बजे तक जमा करवाया जा सकेगा, इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय की प्रतीक्षा किए बिना, यथाशीघ्र ऑनलाईन आवेदन करें। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> पर ‘विस्तृत विज्ञापन’ देखें।

राजिस्ट्रार (परीक्षा)

रा. रो. सं. 9/2025

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

संक्षिप्त विज्ञापन

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/वाहन चालक/2025/2359

दिनांक: 09.06.2025

राजस्थान उच्च न्यायालय में वाहन चालक (Chauffeur) तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थायी लोक अदालतों सहित) में वाहन चालक (Driver) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2025

राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय में वाहन चालक (Chauffeur) तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थायी लोक अदालतों सहित) में वाहन चालक (Driver) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2025 के 58 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Applications) आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार दो वर्ष की अवधि तक रुपये 14,600/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में रहेंगे। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या L-05 के अनुसार पे-स्केल रु. 20,800-65,900 संदेय होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2025 (बुधवार) को दोपहर 01:00 से दिनांक 07.07.2025 (सोमवार) को सायं 05:00 बजे तक भरे जा सकेंगे। ऑनलाईन परीक्षा शुल्क दिनांक 18.06.2025 (बुधवार) को दोपहर 01:00 से दिनांक 08.07.2025 (मंगलवार) को सायं 11:59 बजे तक जमा करवाया जा सकेगा, इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय की प्रतीक्षा किए बिना, यथाशीघ्र ऑनलाईन आवेदन करें। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> पर ‘विस्तृत विज्ञापन’ देखें।

राजिस्ट्रार (परीक्षा)

रा. रो. सं. 10/2025

ऑनलाइन रोजगार के अवसर

आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन रोजगार (Online Employment) एक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र बन चुका है। इंटरनेट और तकनीक की पहुंच ने न केवल बड़े शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खोल दिए हैं। खास बात यह है कि इन नौकरियों के लिए पारंपरिक डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कुछ विशेष कोर्स और कौशल ही पर्याप्त होते हैं।

1. फ्रीलांसिंग (Freelancing)

कोर्स: डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग (Graphic Design), कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट

वेतन: प्रारंभ में ₹10,000-₹25,000 प्रति माह, अनुभव के साथ ₹1 लाख+ तक

लाभ: समय और स्थान की स्वतंत्रता

विभिन्न देशों के क्लाइंट्स से कार्य

कम लागत में करियर की शुरुआत

2. यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन

कोर्स: वीडियो एडिटिंग

स्क्रिप्ट राइटिंग

SEO (Search Engine Optimization)

वेतन: ₹5,000 से ₹2 लाख+ प्रति माह (विजिट्स और सब्सक्राइबर पर निर्भर)

लाभ: खुद की ब्रांडिंग विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से कमाई

रचनात्मक स्वतंत्रता

3. ऑनलाइन ट्यूटोरिंग और कोचिंग

कोर्स: विषय विशेषज्ञता (जैसे गणित, विज्ञान, इंग्लिश)

कम्युनिकेशन स्किल्स

वेतन: ₹15,000 से ₹1 लाख प्रति माह

लाभ: घर बैठे पढ़ाने का अवसर, विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को ट्यूशन देना, विश्वसनीय और सम्मानित करियर

4. डेटा एंट्री और वर्चुअल असिस्टेंट

कोर्स: कंप्यूटर बेसिक (MS Office, Typing), कम्युनिकेशन स्किल्स

वेतन: ₹8,000 से ₹30,000 प्रति माह

लाभ: कम योग्यता में रोजगार, समय के अनुसार कार्य, स्थिर आमदनी का स्रोत

5. ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग

कोर्स: वर्डप्रेस, SEO

कंटेंट राइटिंग

वेतन: ₹5,000 से ₹1-5 लाख प्रति माह (वेबसाइट ट्रैफिक पर निर्भर)

लाभ: निष्क्रिय आय (Passive Income)

ब्रांड निर्माण

कंपनियों से कमीशन

सरकारी और निजी सहयोग:

सरकार ने 'डिजिटल इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया' और 'स्किल इंडिया' जैसे अभियानों के माध्यम से युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कई प्रयास किए हैं। साथ ही, निजी कंपनियाँ भी ऑनलाइन स्किलिंग प्लेटफॉर्म पर कोर्स उपलब्ध करा रही हैं।

उदाहरण के लिए:

- डिजिटल इंडिया ने गांवों तक इंटरनेट पहुँचाया।
- स्टार्टअप इंडिया ने नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया।
- स्किल इंडिया ने डिजिटल स्किल्स में मुफ्त प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की।

कुछ प्रमुख आँकड़े

- NASSCOM के अनुसार, भारत में 2025 तक 90 लाख फ्रीलांसर होंगे।
- LinkedIn की रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 में भारत में डिजिटल कौशल की मांग 25% से अधिक बढ़ी है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 65% युवा मोबाइल इंटरनेट से जुड़े हुए हैं।

1. बैचलर और मास्टर डिग्री कोर्स (Degree Courses)

कोर्स का नाम स्तर विशेषता:-

- BCA (Bachelor of Computer Applications) स्नातक कंप्यूटर, वेब और ऐप डेवलपमेंट में करियर
- BBA (Digital Marketing Specialization) स्नातक ऑनलाइन मार्केटिंग और SEO की समझ
- B.Sc. पद Animation-Multimedia स्नातक ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग
- M.Sc./MCA in Data Science/AI स्नातकोत्तर फ्रीलांसिंग, डेटा प्रोजेक्ट्स में अवसर
- MBA in E-Commerce/Digital Marketing स्नातकोत्तर ई-कॉमर्स मैनेजमेंट, ऑनलाइन बिजनेस

2. डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स (Short & term & Skill&based)

कोर्स अवधि और कहां से करें:-

- डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा 3-6 महीने IGNOU, NIIT, Manipal ProLearn, Google Skillshop
- वेब डिजाइनिंग/ग्राफिक डिजाइनिंग 6 महीने- 1 वर्ष Arena Animation, MAAC, Aptech
- कंटेंट राइटिंग कोर्स 2-3 महीने Henry Harvin, Udemy, Coursera
- फ्रीलांसिंग स्किल डेवलपमेंट 1-3 महीने NSDC, Skill India Portal
- डेटा एंट्री और बेसिक कंप्यूटर 3 महीने CSC Academy, NIELIT

3. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मान्यता प्राप्त कोर्स (MOOCs)

प्लेटफॉर्म और लोकप्रिय कोर्स:-

- Coursera Google Digital Marketing, Meta Social Media Marketing
- edX Harvard: CS50, Entrepreneurship in Emerging Economies
- Udemy Freelancing Masterclass, Blogging for Beginners
- Swayam (भारत सरकार) Basic Computer Skills, Digital Literacy
- UpGrad Digital Marketing Bootcamp, Data Analytics

भारत में प्रमुख विश्वविद्यालय जो डिजिटल कोर्स ऑफर करते हैं:

- IGNOU (bXuw): डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स
- Delhi University (DU SOL): डिजिटल स्किल्स कोर्स
- Jamia Millia Islamia, मास कम्युनिकेशन और डिजिटल मीडिया प्रोग्राम
- Amity University Online: MBA in Digital Marketing
- Symbiosis Centre for Distance Learning (SCDL): डिजिटल बिजनेस, ई-कॉमर्स मैनेजमेंट

निष्कर्ष और सुझाव

ऑनलाइन रोजगार न केवल एक नया रोजगार माध्यम है, बल्कि यह आने वाले समय का भविष्य भी है। आज का युवा यदि इंटरनेट और तकनीक का सही उपयोग करे, तो वह न केवल आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर सकता है। आवश्यकता है तो बस सीखने की ललक और सकारात्मक दृष्टिकोण की।

डॉ. प्रज्ञा शर्मा

वार्षिक अभिदाताओं/एजेंट हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे ₹ 60/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं।

— संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों/संस्थानों की अपनी हैं। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं हैं।

— संपादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
धर्मपाल मीना
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
डॉ. संजीव सोलंकी
सहायक निदेशक (प्रकाशन), राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर
डाक का पता: सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001

e-mail—adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in

स्वत्वाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मुद्रक सहायक निदेशक (प्रकाशन) द्वारा मितशयोर टेक्नोलॉजीज एलएलपी, बी. 121 मंगल मार्ग बापूनगर, जयपुर 302015 (राज.) (प्रिंटिंग प्रेस, बी.-26 विजय मुकुन्दपुरा नाथला रोड, कानोता, जयपुर) से मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक— डॉ. संजीव सोलंकी